राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप–3/2023–01979पार्ट (3)   जयपुर, दिनांकः– 11.09.2023

–: आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2023 के क्रम में राजकीय महाविद्यालय, बेंगू, जिला चित्तौडगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय व कला संकाय में चित्रकला एवं संस्कृत विषय तथा राजकीय महाविद्यालय, गंगरार, जिला चित्तौडगढ़ को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत कर, स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास विषय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. उक्त महाविद्यालयों में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु बजट मद 2202–03–103–02–00 में निम्नानुसार सहायक आचार्य के 07 नवीन पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक/ स्नातकोत्तर	विषय	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	राजकीय महाविद्यालय, बेंगू जिला चित्तौडगढ़	स्नातक– वाणिज्य संकाय (01 वर्ग)	ए.बी.एस.टी., व्या. प्रशासन, ई.ए.एफ.एम.	सहायक आचार्य	03
		स्नातक– 02 विषय	चित्रकला, संस्कृत	सहायक आचार्य	02
2.	राजकीय महाविद्यालय, गंगरार जिला चित्तौडगढ़	स्नातकोत्तर	इतिहास	सहायक आचार्य	02
				कुल योग	**07**

2. उक्त सृजित नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
3. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक इस महाविद्यालय में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
4. अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301880 दिनांक 01.09.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.09.11 12:45:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4690209

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांकः एफ 6(7) आयो/आकाशि/विषय/2023/पार्ट 2-01161

विषयः- राजकीय महाविद्यालय, बेंगू जिला चित्तौडगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय में चित्रकला व संस्कृत विषय तथा राजकीय महाविद्यालय गंगरार को स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास विषय में क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः- शासन उप सचिव-प्रथम का आदेश क्रमांक प.6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2023-01979 पार्ट(3) दिनांक 11.09.2023

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थः

1 महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

6. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।

8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार खोले गये नवीन विषय/संकाय को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।

2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार खोले गये नवीन विषय/संकाय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसारखोले गये नवीन विषय/संकाय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे तथा उक्त हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला/कक्ष निर्माण के संबंध में महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव मय तकमीना तैयार कर भिजवायें ।

5 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

6 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation : Associate Professor
Date: 2023.09.12 14:01:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4700260